



संजयराव साखर
कार्मिक (क-२) विभाग

संख्या एक २६६ डीजीपी/९-११/६४

अवकाश दिनांक २६-११-२०१३

अधिसूचना

भारत की सरकारने केंद्रिय सेवा केंद्रिय कर्मचारी को प्रत्येक वर्षी एक सहायक के अंतर्गत सहायक सेवा नियम १९७३ को और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम प्रस्तावित हैं।

१. संशोधन नाम और प्रारम्भ - (१) इन नियमों का नाम संजयराव साखर अर्जीपत्र सेवा (संशोधन) नियम २०१३ है।
(२) ये १०/०७/२००६ से प्रकृत हुए समझे जायेंगे।
२. नियम १९क का संशोधन - संजयराव साखर अर्जीपत्र सेवा नियम १९७३, जिन्हें इसमें इसमें धारणाएँ लगी हैं, उनमें निम्नलिखित विद्यमान हैं, कि नियम १९क का विद्यमान रूप-नियम (२) द्वारा जायेगा।
३. अनुसूची-१ का संशोधन - उक्त विभागों से संबंधित अनुसूची-१ में शीर्षक "अनुसूची-१ का संशोधन" के अंतर्गत विद्यमान कर्म स. ६(ग) और उसकी परिस्थितियाँ हटायी जायेंगी।

संजयराव साखर और नाम से,

(दिनांक २६/११/२०१३)
सहायक सचिव

०१/१०/१३

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. 5(6)प्रा.शि/2015

जयपुर, दिनांक: 8 SEP 2015

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
बीकानेर।

विषय:- राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों में से माध्यमिक शिक्षा को अध्यापक देने की स्वीकृति के क्रम में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु प्रको./नि.4/900/सैट अप परि/2014 दिनांक 03.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.07.2015 के क्रम में लेख है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 6 (डी) के अनुसार तैयार वरीयता सूची में माध्यमिक शिक्षा विभाग को विषयवार वरीयता के अनुसार मांग के आधार पर विषय अध्यापक उपलब्ध करावें।

भवदीय

(कुंजी लाल शीना)
शासन सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु प्रको./नि.4/900/सैटअप परि/2014 दिनांक-08.09.2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करने हेतु।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)

8/9.2015

(सुवालाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

5

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.17(2)शिक्षा-2/2003

जयपुर, दिनांक : 08/05/2016

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में 6 डी/राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों में से अधिशेष (शाला दर्पण 3ए में लेवल व विषय विरुद्ध कार्यरत तथा 3बी में अंकित 6डी/राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक) उपलब्ध अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के लेवलवार एवं विषयवार पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-


1. गति/सगावि में अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का निर्धारण-
 - (i). अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के स्पष्ट रिक्त पद
 - (ii). बिन्दु संख्या 2(i) के अनुसार 3ए में अंकित अधिशेष अध्यापकों के अलग-अलग समायोजन से होने वाली रिक्तियां
2. अधिशेष अध्यापक जिनका पदस्थापन किया जाना है, का निर्धारण-
 - (i) शाला दर्पण के 3ए में अंकित अध्यापक जो
 - A. लेवल-1 के हैं, किन्तु लेवल-2 के पद पर कार्यरत हैं
 - B. लेवल-2 के हैं, किन्तु लेवल-1 के पद पर कार्यरत हैं
 - C. लेवल-2 में विषय विरुद्ध कार्यरत हैं (स्वीकृत गणित विषय के विरुद्ध कार्यरत विज्ञान एवं स्वीकृत विज्ञान विषय के विरुद्ध कार्यरत गणित अध्यापक को अधिशेष नहीं माना जाये)
 - D. लेवल-2 में सामान्य विषय के अध्यापक मात्र लेवल-1 पर पदस्थापन के लिए ही योग्य होंगे।
 - (ii) शाला दर्पण के 3बी में अंकित वे अध्यापक जो 6डी के तहत घबनित हैं अथवा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त हैं।
3. यदि बिन्दु संख्या 2(i) एवं 2(ii) में सगायोजित होने वाले अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) की संख्या बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संबंधित लेवल/विषय की रिक्तियों से कम है तो उक्त शेष रिक्त पदों की संख्या के बराबर संबंधित लेवल-1/लेवल-2 (विषयवार) के अध्यापक प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत होंगे।

(संकेत) 16

- अध्यापक जो 6डी के तहत चयनित हों अथवा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त हों, वो संबंधित जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार सैट अप परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त किया जाकर पदस्थापित किया जायेगा।
4. सर्वोच्च बिन्दु संख्या 1 के अनुसार अध्यापक लेवल-1 की रिक्तियों के बराबर लेवल-1 के अध्यापक (बिन्दु संख्या 2 व 3 की प्रक्रिया के उपरान्त भी) उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बिन्दु संख्या 6 के क्रम में लेवल-2 के विषय क्रमशः सामाजिक विज्ञान, हिन्दी तथा संस्कृत की काउन्सलिंग हेतु उस विषय की रिक्तियों से पदस्थापित किये जाने वाले अध्यापक अधिक हैं तो लेवल-1 की शेष रिक्तियों में से उतनी ही रिक्तियां जोड़कर कॉमन रिक्त पदों की सूची प्रदर्शित की जाकर पदस्थापन किया जायेगा। लेवल-2 के लिए लेवल-1 की रिक्तियों का निर्धारण कक्षा 1 से 5 के नागांकन के घटते क्रम में किया जायेगा। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय के लेवल-2 अध्यापक लेवल-1 के विरुद्ध पदस्थापित नहीं किये जायें।
 5. यदि बिन्दु संख्या 2(i) एवं 2(ii) में समायोजित होने वाले अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) की संख्या बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संबंधित लेवल/विषय की रिक्तियों से अधिक है तो ऐसे शेष लेवल-1/लेवल-2 (विषयवार) अध्यापकों की कनिष्ठ वरीयतानुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया जायेगा।
 6. बिन्दु संख्या 2 व 3 से उपलब्ध अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) का पदस्थापन परामर्श शिविर (Counselling) द्वारा किया जायेगा। परामर्श शिविर (Counselling) का आयोजन पद/विषयवार निम्न क्रमानुसार किया जायेगा :-
 - (i) अध्यापक लेवल-1
 - (ii) अध्यापक लेवल-2 (सामाजिक अध्ययन)
 - (iii) अध्यापक लेवल-2 (हिन्दी)
 - (iv) अध्यापक लेवल-2 (तृतीय भाषा कॉमन मेरिट से)
 - (v) अध्यापक लेवल-2 (गणित/विज्ञान कॉमन मेरिट से)
 - (vi) अध्यापक लेवल-2 (अंग्रेजी)
 7. प्रदर्शित की जाने वाली रिक्तियों की प्रक्रिया-
 - (i) अध्यापक लेवल-1
 बिन्दु संख्या 1 के अनुसार समस्त रिक्तियां प्रदर्शित की जायेगी।
 - (ii) अध्यापक लेवल-2 (विषयवार)
 - (a) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार विषय विशेष में पदस्थापित किये जाने वाले अध्यापकों की संख्या अधिक है तो समस्त रिक्तियां प्रदर्शित की जायेगी अन्यथा स्थिति में बिन्दु संख्या 4 के अनुसार लेवल-1 की रिक्तियां जोड़ते हुए रिक्तियां प्रदर्शित की जायेगी।
 - (b) गणित/विज्ञान की रिक्तियों की सूची कॉमन तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी।
 - (c) तृतीय भाषा के अध्यापक के पदस्थापन के समय इस बात का विशेषतः ध्यान रखा जायेगा कि पदस्थान सम्बन्धित भाषा के रिक्त पद पर ही किया जायेगा।
 8. उपलब्ध अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) के पदस्थापन हेतु वरीयता का निर्धारण निम्न क्रम में किया जायेगा :-
 - i. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
 - ii. विधवा एवं परिव्रता महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
 - iii. महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
 - iv. शेष अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
 9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम द्वारा बिन्दु संख्या-7 के अनुसार तैयार की गई रिक्तियों की सूची एवं बिन्दु संख्या-8 के अनुसार तैयार की गई वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय पर किया जाकर वरीयता सूची में निर्धारित वरीयता क्रमानुसार Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजित किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम समस्त प्रक्रिया के नोटल

Gurukul
28.5.16

- अधिकारी रहेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक नोडल अधिकारी द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएँ प्रेषित करते हुए अपेक्षित सहयोग करेंगे।
10. कार्मिक द्वारा Counselling Camp (परामर्श कैंप) में चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे।
 11. जो अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) Counselling (परामर्श प्रक्रिया) में अनुपरिचित रहेंगे, उन्हें Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे।
 12. उक्त प्रक्रिया में राजस्थान ग्रामीण स्नेह्या शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित कार्मिकों का पदस्थापन/समायोजन शहरी क्षेत्रों में नहीं किया जाये।
 13. शाला दर्पण की 3वीं में दर्ज लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं सहायक कर्मचारी/समकक्ष का समायोजन जिले के गावि/उमावि में विकल्प प्राप्त कर किया जाएगा।
 14. आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही details where about) की तहती जाँच कर आदेश जारी किये जाये, त्रुटियाँ नहीं हो। संस्थागत त्रुटियाँ होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध किमानीय जाँच सुनिश्चित की जावें।
 15. गावि/उमावि में कार्यरत ऐसे अध्यापक लेवल-1/लेवल-2 (जिनका पंचायती राज विभाग से शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण के संबंध में राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के तहत प्रयत्न नहीं किया गया है) तथा शाला दर्पण की 3वीं सूची में दर्ज प्रबोधक/पैरा टीचर/शिक्षा कर्मी/अन्य कार्मिक जो माध्यमिक शिक्षा में समायोजन योग्य नहीं हों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया जावेगा। शाला दर्पण के 3वीं में दर्ज शारीरिक शिक्षक के समायोजन के लिए पत्रक से आदेश जारी किये जायेंगे।
 16. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया के उपरान्त शाला दर्पण की 3 वीं सूची में शारीरिक शिक्षक के अतिरिक्त कोई भी अध्यापक/कार्मिक नहीं रहेगा।
 17. उक्त समस्त प्रक्रिया दिनांक: 28 मई 2016 तक पूर्ण कर ली जावेगी।

भवदीय

 (कमलेश आचरिया)
 शासन सचिव

पत्रिलिपि : निम्नांकित को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों का गावि/उमावि में समन्वयन होने से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के पदस्थापन एवं सहायक कर्मचारी व समकक्ष के समायोजन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त कार्यवाही पश्चात् शाला दर्पण की 3 वीं सूची में शारीरिक शिक्षक के अतिरिक्त कोई भी अध्यापक/कार्मिक नहीं रहें :-

1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, संग्राम.....।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा जिला.....।


 शासन सचिव
 08/5/16

रजिस्टर्ड

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिबिरा/माध्य/स्थिरी-अ/34810/2016-17

दिनांक: 21.11.2016

समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा

विषय- प्रारम्भिक शिक्षा से सैट-अप परिवर्तन से माध्यमिक शिक्षा में आये शिक्षकों के बकाया एसीपी व वेतन, एरियर भुगतान के सम्बन्ध में ।

प्रसंग- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम, सीकर का पत्र दिनांक 24.08.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रारम्भिक पत्र के संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाता है कि शासन के नीतिगत निर्णय की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से सैट-अप परिवर्तन के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदस्थापित शिक्षकों व कार्मिकों के प्रारम्भिक सैट-अप में पदस्थापन अवधि के दौरान बकाया एसीपी व वेतन एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी/उपनिदेशक, माध्यमिक स्तर से बार-बार मार्गदर्शन हेतु पत्र प्राप्त हो रहे हैं ।

अतः सैट-अप परिवर्तन के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक के बकाया एसीपी व वेतन एरियर सम्बन्धी भुगतान का आहरण माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर पर ही किया जाना है । बकाया राशि के भुगतान से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि की पूर्ण जांच करे तथा सम्बन्धित कार्मिक का उक्त बकाया अवधि का जी.ए.-65 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से प्राप्त किया जाकर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें ।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।

क्रमांक सिविल-प्रार/नियु प्रको/नियु-2/902/सेटअप चेंज/2016 दिनांक 13.08.16

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा


MOST URGENT

विषय-प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में स्थानांतरित किंतु एकल अध्यापक होने के कारण कार्यमुक्त नहीं के वेतन आहरण के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत सेटअप परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में स्थानांतरित किंतु एकल अध्यापक होने के कारण कार्यमुक्त नहीं किये गये अध्यापकों के वेतन आहरण के सम्बंध में अधिनस्थ कार्यालय के द्वारा निर्देश चाहे जा रहे हैं इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित अध्यापक का वेतन उसी विद्यालय से पूर्व की भांति संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा आहरित किया जायेगा जब तक वे नियमानुसार कार्यमुक्त नहीं हो जाते।

ऐसे अध्यापकों का संख्यात्मक विवरण निम्न प्रपत्र में ईमेल आईडी Niyukti.ele@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्रस	जिला	लेवल प्रथम	लेवल द्वितीय									योग	वि. वि
			हिन्दी	अंग्रेजी	विज्ञान	सामाजिक	संस्कृत	उर्दू	पंजाबी	सामान्य	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14


(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
IAS

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प. 21(51)/प्राशि./आयो./2015

जयपुर, दिनांक 15-03-2017

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन के फलस्वरूप स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के 6120 पदों को समाप्त करने बाबत।

संदर्भ : शासन उप सचिव, प्रथम, शिक्षा (गुप-1) विभाग की अ.शा. टीप संख्या प. 22 (6) शिक्षा-1/2002 पार्ट दिनांक 10.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन के फलस्वरूप स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के 6120 पदों को निम्नानुसार बजट मद में समाप्त करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	पदनाम	ग्रेड-पे	प्राशि के पदों की संख्या जिन्हें समाप्त किया जाना है। 2202-01-197-01-01 Non Plan
1.	तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-2)	3600	2087
2.	तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-1)	3600	3075
3.	शासकीय शिक्षक ग्रेड-3	3600	285
4.	चार अध्यापक	4200	673
	कुल योग		6120

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.बी. संख्या 101700725 दिनांक 07.03.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. शासन उप सचिव, प्रथम, शिक्षा (गुप-1) विभाग/बि.शिक्षा शासन सचिव, शिक्षा (गुप-5) विभाग।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
9. लेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
10. कार्यालय प्रति।

(महेन्द्र सिंह)

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 17(2) शिक्षा-2/2003

जयपुर, दिनांक : 15/3/17

1. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर
2. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : 'राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971' के नियम 6-डी के तहत पंचायती राज के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सैट-अप परिवर्तन कर शिक्षा विभाग में लेने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्यापक ग्रेड-III के दिनांक 01.04.2017 को रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार पंचायतीराज विभाग के तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 के नियम 6डी के तहत शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की कार्यवाही दिनांक 10.04.2017 तक सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करावें। 6डी के अनुसार सैटअप परिवर्तन से उपलब्ध शिक्षकों के पदस्थापन हेतु अलग से निर्देश जारी किये जावेंगे।

अतः माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षा सैट-अप के तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के दिनांक 01.04.2017 को रिक्त पदों का संयुक्त रूप से आंकलन करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक तथा प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जावे। उक्त आंकलन पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी-प्रारम्भिक शिक्षा को कुल रिक्त पदों के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 के नियम 6डी के तहत पंचायतीराज विभाग के शिक्षकों के सैट अप परिवर्तन की कार्यवाही कर दिनांक 10.04.2017 तक आदेश जारी करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग-----
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला-----

शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शिक्षक-संस्थापन/एफ-6/सैट-अप/2017

दिनांक 16/3/17
अति-आवश्यक/तत्काल

समस्त उप निदेशक,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा

विषय:- राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 6-डी के तहत पंचायतीराज के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सैट-अप परिवर्तन कर शिक्षा विभाग में लेने के संबंध में।

प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्रांक प.17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 15.03.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्यापक ग्रेड-III के दिनांक 01.04.2017 को रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार पंचायतीराज विभाग के तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम 6 डी के तहत शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की कार्यवाही दिनांक 10.04.17 तक सम्पन्नित कराया जाना सुनिश्चित करावें। 6 डी के अनुसार सैट-अप परिवर्तन में उपलब्ध शिक्षकों के पदस्थापन हेतु अलग से निर्देश जारी किये जावेंगे।

अतः निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षा सैट-अप के तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) के दिनांक 01.04.17 को रिक्त पदों का संतुल्य रूप से आंकलन करवें। उक्त आंकलन पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को कुल रिक्त पदों के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 के नियम 6 डी के तहत पंचायतीराज विभाग के शिक्षकों के सैट-अप परिवर्तन की कार्यवाही कर दिनांक 10.04.17 तक आदेश जारी करावें।


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर(राज0)

क्रमांक -जि.शिक्षा/प्रारं/उदय/संख्या-1/8 D सैटअप/2017/ 240 दिनांक: 17/3/17

अति आवश्यक

श्री0का प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
प0स0 _____ समस्त।

विषय :- राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 8 D के तहत पंचायती राज के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सैटअप परिवर्तन कर शिक्षा विभाग में लेने के संबंध में।

प्रसंग :- निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर का पत्रांक शिविर/प्रारं/शिक्षक-संस्थापन/एफ-6 /सैटअप/2017 दिनांक 16.03.2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि शिक्षा विभाग को अन्तर्गत अध्यापक रोड 3A के दिनांक 01.04.2017 को रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार पंचायती राज विभाग के तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 8 D के तहत शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की कार्यवाही दिनांक 10.04.2017 तक पूर्ण की जानी है।

इस हेतु संलग्न प्रपत्र में 1, 2 व 3 में वर्तमान में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सूचना निम्नांकित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तत्काल इस कार्यालय को भिजवाए :-

1. पंचायती राज एवं विभाग के शिक्षक होने का निर्धारण संबंधित कार्मिक की सेवापुरविका के आधार पर किया जावे।
2. वर्ष 2004 के प्रस्ताव जो भी नियुक्तियाँ हुई है वह पंचायतीराज अधिनियम के तहत हुई है।जत RPSC 2004 एवं 2008 के सभी अध्यापक पंचायतीराज के अध्यापक है।
3. जिन पंचायतीराज अध्यापकों की सूची तैयार की जा रही है वो सभी प्रशिक्षित होने चाहिए व इनके विलम्ब विभागीय जीव लम्बित है या नहीं का विवरण संबंधित कॉलम में अंकित करावे।
4. कुछ पंचायतीराज के अध्यापकों का वेतन NON PLAN/ LPAN/ SSA मद से जाहरित किया जा रहा है। उन्हें पंचायतीराज शिक्षक में सम्मिलित किया जावे।
5. कुछ शिक्षा विभाग के अध्यापकों का वेतन PD मद से जाहरित किया जा रहा है। उनकी गणना शिक्षा विभाग में की जावे।
6. पूल मद में कार्यरत पंचायतीराज जिनका समायोजन शिक्षा विभाग में नहीं किया गया है वो भी सम्मिलित किया जाना है।
7. कुछ पंचायतीराज अध्यापक शहरी क्षेत्र में कार्यरत है,इन्हे भी पंचायतीराज की गणना में सम्मिलित किया जावे।(उदयपुर शहर, भीष्दर, कानोठ, फतहनगर आदि)

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना करते हुए वांछित प्रपत्र में सूचना सही -सही एवं निर्धारित फॉन्ट में भरते हुए EXCEL SHEET में सॉफ्ट कॉपी में तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। स्मरण रहे यह प्रक्रिया दिनांक 10.04.2017 से पूर्व पूर्ण की जानी है। अतः प्राथमिकता प्रदान करावे।

संलग्न - प्रपत्र 1, 2, 3A


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (गुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 17(2)शिक्षा-2/2003 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 24/4/17

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।

विषय : सीट अप परिवर्तन से अध्यापक विहीन विद्यालयों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि एकल अध्यापक वाले विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापक जिनका सीटअप परिवर्तन होकर पदस्थापन हो चुका है, परन्तु अध्यापक विहीन विद्यालय की स्थिति नहीं बने इस कारण निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के आदेश दिनांक 01.08.2016 को अनुपालना में नवीन पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किये गये, के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने का अग्र करार है :-

1. ऐसे एकल अध्यापक वाले विद्यालय जिनमें पदस्थापित अध्यापक का सीटअप परिवर्तन होकर पदस्थापन हो चुका है, को शून्य अध्यापक वाला विद्यालय मानते हुये शासन के पत्र क्रमांक- प. 2(6) शिक्षा-1/प्रासि/2003 दिनांक 31.01.2017 के अनुसार नव नियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन हेतु रिक्तियों को काउन्तलिंग में शामिल किये जावें।
2. उक्त विद्यालयों में नव नियुक्त अध्यापक के कार्यग्रहण करने के पश्चात् सीट अप परिवर्तन वाले अध्यापक को कार्यमुक्त किया जावें।

भवदीय

(कमलेश आनुरागिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक-शिविर-माध्य/संस्था/
एक-1ए/ सीटअप-परिवर्तन /16-17 दिनांक 21.04.2017 के क्रम में सूचनाार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव

341

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ. 2(6)डीओपी/ए-11/84

जयपुर, दिनांक : 29-5-2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6घ का संशोधन .- राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 6घ के परन्तुक के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "5 वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "3 वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।



राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (क-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

27/5/2017

342

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr-II)

No.F.2(6) DOP/A-II/84

Jaipur, dated: 29.5.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Educational Subordinate Service (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 6D.- In clause (iii) of proviso to rule 6D of the Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971, for the existing expression "5 years" the expression "3 years", shall be substituted.

By order and in the name of the Governor,

(Sunil Sharma)
Joint Secretary to the Government

संयुक्त शासन सचिव
कर्मिक (क-२) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

27/2017

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

(43)

क्रमांक- प. 17(2) शिक्षा-2/2003

दिनांक : 13/6/17

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

विषय : राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम-6डी के तहत पंचायतीराज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सैट-अप परिवर्तन कर शिक्षा विभाग में लेने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2017 तथा कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ. 2(6) डीओपी/ए-II/84 दिनांक 29.05.2017

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग की सन्दर्भित अधिसूचना के अनुसार पंचायतीराज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सैट-अप परिवर्तन कर माध्यमिक शिक्षा में लेने हेतु अनुभव "5 वर्ष" के स्थान पर "3 वर्ष" संशोधित कर दिया गया है।

अतः कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ. 2(6) डीओपी/ए-II/84 दिनांक 29.05.2017 के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2017 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करवाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



भवदीय

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, सम्भाग.....
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला.....

13/6/2017
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
शिक्षा (गुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 17(2) शिक्षा-2/2003

जयपुर, दिनांक : 05.07.2017

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : वर्ष 2017-18 हेतु 6डी में चयनित शिक्षकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2017 तथा 13.06.2017

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि उक्त पत्रों द्वारा पंचायतीराज विभाग में कार्यरत शिक्षकों को राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 के नियम 6डी के अनुसार शिक्षा विभाग में लिये जाने के सम्बन्ध में सैट-अप परिवर्तन की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी को मध्यनजर रखते हुये सैट-अप परिवर्तन हेतु चयनित उक्त शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया था।

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से शिक्षक उपलब्ध होने के कारण सैट-अप परिवर्तन हेतु 6डी की सूची में चयनित उक्त शिक्षकों में से लेवल-1 के शिक्षकों का पदस्थापन इस विभाग को समसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसिलिंग के माध्यम से 10.07.2017 तक कराया जाना सुनिश्चित करावे।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त उक्त प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जावे कि कोई भी विद्यालय अध्यापक विहीन ना हो। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.04.2017 के अनुसार कार्यवाही करते हुये किसी अन्य अध्यापक को पदस्थापित होने पर सैट-अप परिवर्तन वाले अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये।

उक्त 6डी की सूची में चयनित दिव्यांग अध्यापकों एवं ऐसे अध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति में 06 माह से कम का समय शेष है, को यथावत रहने अथवा सैट-अप परिवर्तन का विकल्प प्रदान किया जा सकता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



भवदीय
(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव
05.7.17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा सम्भाग.....
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा जिला.....

शासन उप सचिव
05.7.17

PicsArt

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 17(2) शिक्षा-2/2013

जयपुर, दिनांक : 27-2-17

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा नियम 1971 के नियम 6बी के तहत माध्यमिक शिक्षा में आवश्यक तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सम्बन्ध में।

संदर्भ

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार ज्ञेय है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापक प्रेक्ष-ता के निम्न चरण को भरण हेतु राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6बी के तहत दिनांक 01.04.2017 की (सम्भावित) स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रारूप में जिलेवार सूचना जरिये ई-मेल soctododucationgroup2@gmail.com तीन दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाने का अग्र करवावे-

:: माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सूचना दिनांक 01.04.2017 की स्थिति ::

क्र. सं.	पदनाम	विषय	प्राप्ति के अध्यापक	प्राप्ति के अध्यापक		6बी से लेने हेतु उपलब्ध पर	6बी से उपलब्ध होने वाले शिक्षक	प्राप्ति को स्थानान्तरित/सीटें जाने वाले शिक्षक
				5 को ले प्राप्ति में ही सम्भावित होने वाले	प्राप्ति में सम्भावित नहीं होने वाले			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सचदीय
(कमलेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- समस्त प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशानुसार ज्ञेय है कि चयन सूचना 3 दिवस में भिजवाने का अग्र करवावे।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रेषित कर निर्देशानुसार ज्ञेय है कि चयन सूचना 3 दिवस में भिजवाने का अग्र करवावे।

(सनेश्वर लाल जाट)
अनुभागाधिकारी

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिखि/प्रारं/शिक्षक-संस्थापन/एफ-6/6डी/18

दिनांक 18/9/18
अति-आवश्यक

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बीकानेर

विषय:- 6डी में नियम विरुद्ध हुए चयन को निरस्त करवाने बाबत।

प्रसंग:- प्रार्थिया रितु स्वामी अध्यापिका राप्रावि देशनोक ग्रामीण का प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है प्रार्थिया रितु स्वामी अध्यापिका राप्रावि देशनोक ग्रामीण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी नियुक्ति लेवल-1 पर हुई थी किन्तु आप द्वारा उन्हे लेवल-2 अंग्रेजी मानते हुए 6 डी में चयन कर दिया जबकि अंग्रेजी प्रार्थिया का अतिरिक्त विषय है।

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक 2423 दिनांक 13.06.16 (प्रति संलग्न) के विन्दु संख्या 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि विभागीय पत्रांक 16.04.16 एवं 06.06.16 के संदर्भ में शिक्षक के लेवल निर्धारण का आधार उसकी नियुक्ति होगी। उदाहरणार्थ यदि शिक्षक की नियुक्ति लेवल-1 में हुई है और वह नियुक्ति से पूर्व में या नियुक्ति के पश्चात् बी.एड की अर्हता रखता है तो उसे लेवल-1 का ही माना जावेगा। किसी भी प्रकार से अतिरिक्त योग्यात/डिग्री को उसके लेवल का आधार स्टाफिंग पैटर्न में नहीं माना जावेगा। अतिरिक्त योग्यता कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज होगी तथा वह नियमानुसार होने वाली डीपीसी/पदौन्नति में मान्य होगी।

अतः आपको निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि प्रकरण में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ:-

1. प्रार्थिया रितु स्वामी अध्यापिका राप्रावि देशनोक ग्रामीण जिला बीकानेर।


जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021/62-64 दिनांक-24/06/2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय:- राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 6(3)/सैट-अप परिवर्तन के क्रम में

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 6(3) अनुसार "अधीनस्थ सेवा पद के समूह क: अध्यापक विंग में यथा निर्दिष्ट अध्यापकों के मामले में 100 प्रतिशत रिक्तियां, पंचायत समितियों के अधीन विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण द्वारा भरी जायेगी" के क्रम में समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में 6(3) की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

यदि 6(3) की कार्यवाही की जा चुकी है, तो सेटअप परिवर्तन हेतु 6(3) की सूची में चयनित शिक्षकों में से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्त पदों की सीमा तक शासन के पत्र दिनांक 08/05/16 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कांउंसिलिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग में तत्काल करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं यदि उक्त 6(3) की कार्यवाही नहीं की गई है, तो 6(3) की कार्यवाही कर उक्त कार्यवाही तत्काल करवाया जाना सुनिश्चित करें।

1	वांछित रिक्तियों की गणना कर जिशिअ(प्राशि) को प्रेषित कराना एवं जिशिअ (प्राशि) से 6(3) चयनितों की सैट-अप परिवर्तन हेतु सूची प्राप्त कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना	28/06/2022
2	6(3) चयनितों के कार्मिकों का जिनका सैट-अप परिवर्तन होना है, उनकी सूचियां जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को उपलब्ध करवाना।	30/06/2022
3	समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा प्राप्त उक्त सूचियों को समेकित कर निदेशालय को उपलब्ध करवाना।	03/07/2022

उक्त सूचना लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) अलग-अलग निम्नांकित प्रपत्र में प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें:-

प्रपत्र

क्र.सं.	जिले के नाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या	6(3) हेतु उपलब्ध शिक्षकों (विषयवार) की संख्या	6(3) हेतु उपलब्ध नहीं हो रहे शिक्षकों की संख्या

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जावे कि कोई भी विद्यालय अध्यापक विहीन न हों। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24/04/17 के अनुसार कार्यवाही करते हुए किसी अन्य अध्यापक के पदस्थापित होने पर ही सेटअप परिवर्तन वाले अध्यापक को कार्यमुक्त किया जावे।

उक्त 6(3) की सूची में घयनित दिव्यांग अध्यापकों एवं ऐसे अध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति में 06 माह से कम का समय शेष हो यथावत रहने अथवा सेटअप परिवर्तन का विकल्प प्रदान किया जा सकता है। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा से समन्वय स्थापित कर आवश्यक रिक्त पदों की सीमा तक सेटअप परिवर्तन की कार्यवाही तत्काल सम्पादित करावें।

(गोपब अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021/63-64 दिनांक-24-04-2022

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. शासन उपसचिव शिक्षा(गुप-2)विभाग जयपुर को सूचनार्थ ।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रपत्र -01 की सूचना अपने मण्डल के समस्त जिलों की एवं लेवल-1 तथा लेवल-2 (विषयवार) अलग-अलग संकलित कर इस कार्यालय को दिनांक 05.07.2022 तक प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक से समन्वय स्थापित कर वांछित रिक्त पदों की सीमा तक आपके जिले के वरिष्ठतम कार्मिकों के 6(3) में घयनित कार्मिकों को सेटअप परिवर्तन किए जाने हेतु सूची उपलब्ध करवाकर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021/65 दिनांक- 27.06.2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय:- राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के
नियम 6(3)/सेट-अप परिवर्तन के क्रम में

प्रसंग:- इस कार्यालय का समसंख्यक आदेश क्रमांक 63-64 दिनांक
24.06.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के द्वारा 6(3) की सूची में चयनित शिक्षकों
में से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्त पदों की सीमा तक शासन के पत्र
दिनांक 08/05/16 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग में
सेट-अप परिवर्तन हेतु जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 63-64 दिनांक 24.06.2022
को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।


(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021/65 दिनांक-27.06.2022
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. शासन उपसचिव-शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग जयपुर को सूचनार्थ ।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक शिक्षा।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021

दिनांक- 11/05/23

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा**विषय:-** माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध/अधिशेष/राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 6(3) सैट-अप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन के संबंध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध/अधिशेष/राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 6(3) सैट-अप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन की कार्यवाही शासन के पत्र दि.08.05.2016 एवं 14.09.2018 में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार निम्नानुसार सुनिश्चित की जावें :-

01. माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में/पद विरुद्ध/अधिशेष कार्मिकों का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आवंटित पद के अनुरूप स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की सीमा तक समायोजन/पदस्थापन किया जावें, शिकायत के आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे गये कार्मिकों का पदस्थापन इस प्रक्रिया से नहीं किया जाना है।
02. यदि नियम 6(3) की कार्यवाही की जा चुकी है, तो सेटअप परिवर्तन हेतु 6(3) की सूची में चयनित शिक्षकों में से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्त पदों की सीमा तक समायोजन किया जावें।
03. उक्त के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद रिक्त होने की स्थिति में 6(3) की कार्यवाही निम्नानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र.सं.	कार्यवाही का विवरण	कार्य पूर्ण किये जाने की दिनांक
1	जिशिअ (मा.शि.) द्वारा अध्यापक लेवल-1 व लेवल-2 (विषयवार) की पृथक-पृथक रिक्तियों की गणना कर जिशिअ (प्राशि) को 6(3) समायोजन हेतु सूची प्रेषित कराना।	17.05.2023
2	जिशिअ (प्राशि) से 6(3) चयनितों की सैट-अप परिवर्तन हेतु पात्र कार्मिकों की सूची प्राप्त कर जिशिअ (मा.शि.) को उपलब्ध करवाना।	19.05.2023
3	6(3) चयनितों के सैट-अप परिवर्तन के पदस्थापन हेतु उपलब्ध रिक्तियों की सूची एवं जिशिअ (प्राशि) से 6(3) चयनितों की सैट-अप परिवर्तन हेतु सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना	23.05.2023
4	काउंसिलिंग - लेवल-1 अध्यापक	24.05.2023
5	काउंसिलिंग लेवल- 2 (विषय-विज्ञान/गणित, सामाजिक विज्ञान)	25.05.2023
6	काउंसिलिंग लेवल -2 (विषय-हिन्दी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा)	26.05.2023
7	परिवेदनायें आमंत्रित करना।	1 से 5 जून 2023
8	परिवेदनायें निस्तारित करना।	08.06.2023

04. बिन्दु संख्या 03 की कार्यवाही के पश्चात शेष प्रारम्भिक शिक्षा के कार्मिकों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

05. पदस्थापन के आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर वेबसाइट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।

साथ ही उक्त प्रक्रिया के निष्पादन में प्रमुख रूप से यह भी निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) राजकीय विद्यालयों में साक्षात्कार (Interview) से चयनित कार्मिकों को इस समस्त प्रक्रिया से मुक्त रखा जाये तथा इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जावे कि कोई भी विद्यालय अध्यापक विहीन न

हों। यदि ऐसी स्थिति बनती हैं तो इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24/04/17 के अनुसार कार्यवाही करते हुए किसी अन्य अध्यापक के पदस्थापित होने पर ही सेटअप परिवर्तन वाले अध्यापक को कार्यमुक्त किया जावे।

समस्त संयुक्त निदेशक निम्न सूचना लेवल-1 एवं लेवल-2 (विषयवार) अलग-अलग निम्नांकित प्रपत्र में दिनांक 23.05.2023 को अपने मण्डल की जिलेवार समेकित सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें:-

प्रपत्र

मण्डल का नाम:-

क्र.सं.	जिले के नाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या	6(3) हेतु उपलब्ध शिक्षकों (विषयवार) की संख्या	6(3) हेतु उपलब्ध नहीं रहे शिक्षकों की संख्या

उक्त 6(3) की सूची में चयनित दिव्यांग अध्यापकों एवं ऐसे अध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति में 06 माह से कम का समय शेष हो यथावत रहने अथवा सेटअप परिवर्तन का विकल्प प्रदान किया जा सकता है। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा से समन्वय स्थापित कर आवश्यक रिक्त पदों की सीमा तक सेटअप परिवर्तन की कार्यवाही तत्काल सम्पादित करावें।


(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021
प्रतिलिपि:-

दिनांक- 11/05/2023

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. शासन उपसचिव शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग जयपुर को सूचनार्थ ।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र की सूचना अपने मण्डल के समस्त जिलों की एवं लेवल-1 तथा लेवल-2 (विषयवार) अलग-अलग संकलित कर इस कार्यालय को दिनांक 23.05.2023 तक प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक से समन्वय स्थापित कर वांछित रिक्त पदों की सीमा तक नियमानुसार आपके जिले के वरिष्ठतम कार्मिकों के 6(3) में चयनित कार्मिकों को सेटअप परिवर्तन किए जाने हेतु सूची उपलब्ध करवाकर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021

दिनांक- 21.05.2023

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय:- माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध/अधिशेष/राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 6(3) सैट-अप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध/अधिशेष/राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 6(3) सैट-अप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन की कार्यवाही के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 11.05.2023 को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। अतः आगामी आदेश तक कोई कार्यवाही संपादित नहीं की जाये।


(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


दिनांक- 21.05.2023

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. शासन उपसचिव शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग जयपुर को सूचनार्थ ।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक शिक्षा।


21/5/2023
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

6D & STAFFING PATTREN के बारे मे सामान्य जानकारी



सामान्य जानकारी

6D एवम् staffing pattern

1-- 6 डी क्या है ?

उत्तर -- यह एक विभागीय प्रक्रिया है। राजस्थान सर्विस नियम 1971 में भी इस नियम का उल्लेख किया गया है। जिसके अन्तर्गत पंचायती राज में नियुक्त कार्मिक को शिक्षा विभाग में 100% प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध पदस्थापित किये किया जाता है।

2-- 6डी के लिये क्या योग्यता निर्धारित की गई है ?।

उत्तर -- 6 डी के कार्मिक पंचायती राज पद अध्यापक को 5 वर्ष का सेवा अनुभव न्यूनतम व साथ ही योग्यता अर्थात बीएड व stc अनिवार्य है।

3-- 6 डी के क्या लाभ है ?

उत्तर -- उक्त समायोजन के बाद कार्मिक को पंचायती राज में न गणना कर शिक्षा विभाग में गिना जाएगा। शिक्षा विभाग के समस्त परिलाभ को कार्मिक को दिए जाएंगे।

4-- क्या माध्यमिक में कार्यरत पूल बजट के कार्मिक व एकीकरण में मर्ज विधालय के कार्मिकों को 6डी में गिना जाएगा ?

उत्तर -- पूल बजट के कार्मिकों व एकीकरण के बाद माध्यमिक सेटअप में गए कार्मिकों को 6 डी में नहीं गिना जाएगा। इन्हें अपने मूल विभाग पंचायती राज में ही यथावत रखा जाएगा।

5 -- समानीकरण में वरिष्ठता किस आधार पर गिनी जाएगी ?

उत्तर -- वरिष्ठता का आधार जिले में नियुक्ति/ कार्यग्रहण तिथि से किया गया है।

6 -- अधिशेष अध्यापक से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर -- एक विधालय में एक ही विषय के एक से अधिक कार्मिक कार्यरत है।

5 – समानीकरण में वरिष्ठता किस आधार पर गिनी जाएगी ?

उत्तर – वरिष्ठता का आधार जिले में नियुक्ति/ कार्यग्रहण तिथि से किया गया है।

6 – अधिशेष अध्यापक से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर – एक विद्यालय में एक ही विषय के एक से अधिक कार्मिक कार्यरत है।

7 – अधिशेष की गणना कैसे की जाए ?

उत्तर – ऐसी स्थिति में वहां अधिशेष की गणना विद्यालय में अधिकतम ठहराव वाले कार्मिकों को विषयवार अधिशेष कर अन्यत्र विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाएगा।

8 – वर्तमान Staffing pattern/समानीकरण क्या है ?

उत्तर – माध्यमिक शिक्षा में रिक्त रहे पदों को प्रारम्भिक शिक्षा (3rd ग्रेड) से भरना

9 – 6D व staffing pattern में क्या अंतर है ?

उत्तर – 6D केवल पंचायतीराज कार्मिकों के लिए होता है जबकि staffing pattern सभी का हो सकता है

10 – staffing pattern व 6D में ब्लॉक change हो सकता है ?

उत्तर – हाँ

11 – नवनियुक्त अथवा 2012 अध्यापक किससे और कैसे प्रभावित होंगे ?

उत्तर – सभी प्रारम्भिक शिक्षा को सौंपे जाने चाहिए ।

12 – वर्तमान में counseling सही अर्थों में इनमें से क्या है ?

उत्तर – माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पदों को 6D वरिष्ठता के आधार पर भरना

13 – माध्यमिक में पूर्व में ही समायोजित शिक्षकों के लिए कौनसी प्रक्रिया अपनाई जायेगी

उत्तर – जिनका पूर्व में समायोजन हो चुका है उनको वही करेंगे अगर किसी के पूर्व में गलती रह गयी हो तो वह सम्बंधित DEO से मिल कर त्रुटि सुधार करा सकता है और जो शिक्षक माध्यमिक में कार्यरत है और उनका अभी तक समायोजन नहीं हुआ है अगर वह योग्यता रखते है (स्टाफिंग पैटर्न और कॉउंसलिंग प्रक्रिया) जे अनुसार तो उनका समायोजन माध्यमिक में होगा वरना उनको प्रारम्भिक में वापस भेजा जायेगा ।

विभाग एक ही, शिक्षक भी वही काउंसलिंग के प्रावधान अलग-अलग

प्रारंभिक में संबंधित ग्राम पंचायत व ब्लॉक के ही रिक्त पदों का विकल्प

एड्युकेशन रिपोर्टर | बीकानेर

विभाग एक, शिक्षक भी वहीं, लेकिन काउंसलिंग से पोस्टिंग के मामले में नियम अलग-अलग होने से शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है।

राज्य में स्कूलों के समन्वित होने के बाद अधिशेष हुए शिक्षकों के समावेशन और पदस्थापन के लिए राज सरकार ने काउंसलिंग का प्रावधान रखा है। लेकिन माध्यमिक और प्रारंभिक सेटअप में काउंसलिंग के अलग-अलग मापदंड रखे गए हैं। प्रारंभिक से माध्यमिक सेटअप में आए अधिशेष शिक्षकों को पदस्थापन के लिए काउंसलिंग में पूरे जिले के रिक्त पदों का विकल्प दिया जा रहा है। जबकि माध्यमिक से प्रारंभिक में जाने वाले शिक्षकों को जिले की बजाए संबंधित ग्राम पंचायत और ब्लॉक के ही रिक्त पदों पर पोस्टिंग का अवसर मिलेगा। अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए अपनाए जाने वाले इन अलग-अलग प्रावधानों का विरोध शुरू हो गया है। माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्कूलों

प्रबोधक-शिक्षाकर्मी जाएंगे वापस प्रारंभिक सेटअप में :

माध्यमिक सेटअप में आए प्रबोधक, शिक्षाकर्मी और छह डी में जिसका चयन वहीं हुआ है ऐसे जिले के 37 शिक्षकों को वापस प्रारंभिक सेटअप में भेजा जाएगा। प्रारंभिक सेटअप में वापस जाने वालों में छह प्रबोधक, दो शिक्षाकर्मी और लेवल-वन के सात तथा लेवल-टwo के 22 शिक्षक शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग इनको पोस्टिंग देगा।

में समन्वित हुए प्रारंभिक-उच्च प्रारंभिक स्कूलों के अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग शनिवार से शुरू हो गई है। जबकि माध्यमिक सेटअप में आए प्रबोधक, शिक्षाकर्मी और छह डी में चयनित नहीं होने वाले शिक्षकों को वापस प्रारंभिक सेटअप में भेजा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 12 जून से 17 जून तक इन शिक्षकों की काउंसलिंग कर पोस्टिंग दी जाएगी। इनमें प्रारंभिक सेटअप में स्कूलों के समन्वयन तथा अन्य कारणों से अधिशेष हुए शिक्षक भी शामिल होंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव धनश्याम लाल शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

क्या कहना है शिक्षक नेताओं का

एक ही विभाग में शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए अलग-अलग मापदंड अपना व्यावहारिक नहीं है। राज्य सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए।

रवि आचार्य, प्रदेश मंत्री, शिक्षक संघ राष्ट्रीय

माध्यमिक की तरह ही प्रारंभिक की काउंसलिंग में भी पूरे जिले की स्थितियां प्रदर्शित की जानी चाहिए। ताकि शिक्षक को अपने पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग का अवसर मिल सके।

श्रवण पुरोहित, प्रदेश मंत्री, शिक्षक संघ शेखावात

माध्यमिक और प्रारंभिक में अधिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग से पोस्टिंग की यह विरंगति पिछले साल से जारी है। संगठन स्तर से काउंसलिंग के बाद सुधार के सुझाव दिए गए। लेकिन विभाग की लक्ष्मिता के चलते कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है।

महेन्द्र पांडे, महासंघी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ



मंत्रिमण्डल की बैठक में हुआ फैसला...

अब 3 साल पूरे, तो शिक्षा विभाग में जा सकेंगे पंचायत राज शिक्षक

पहले 5 साल का था प्रावधान

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर पंचायत राज के अधीन आने वाले शिक्षक अब नियुक्ति के 3 साल पूरे होने पर शिक्षा विभाग में जा सकेंगे। पहले यह नियम 5 साल का था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में यह फैसला किया गया। इस निर्णय के बाद शिक्षकों के करीब 42 हजार 249 पद भरे जा सकेंगे और पंचायत राज विभाग में शिक्षकों की भर्ती के नए रास्ते भी खुलेंगे।

मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनुस खान ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 में संशोधन कर पंचायत राज विभाग में नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित करने के लिए न्यूनतम अनुभव की अवधि 5 से घटाकर 3 वर्ष करने को मंजूरी दी है। अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 42 हजार 249 पद रिक्त हैं। इस निर्णय से ये पद पंचायत राज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों से भरे जा सकेंगे। स्कूलों को मर्ज करने के बाद से शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 12 हजार 582 पद बढ़कर 74 हजार 635 हो गए हैं। इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया है।

मंत्री-अफसर दो दिन प्रभार वाले जिलों में...

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दूसरे चरण के तहत 30 जून तक 4200 गांवों में जलग्रहण ढांचे बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों और

सचिवों को जिलों में प्रवास करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव दो दिन अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे और इस योजना की समीक्षा करेंगे।

मंत्री अब 3 दिन रहेंगे जयपुर...

मंत्रियों को अब तीन दिन जयपुर में रहना होगा। पहले यह अवधि 4 दिन थी लेकिन अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर सरकार ने यह निर्णय किया

है। अब मंत्री सोमवार से बुधवार तक जयपुर में रहेंगे। सचिवालय में काम निपटाएंगे, आवास और भोजन कार्यालय पर जनसुनवाई करेंगे।

यह भी हुए फैसले...

- **राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2008 में संशोधन कर पुजारी के पद पर ग्रेड-पे 1700 की जगह 1750 रुपए करने की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय पुजारी और सेवागीर के पदों पर वेतनमान का ग्रेड-पे समान होने के कारण किया गया है। पुजारी के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति सेवागीर से पदोन्नत कर की जाती है।**
- **अनुकम्पितक नियुक्ति प्राप्त करने वाले परिवारिक पेंशनरों को अर्धवेतन अवधि समाप्त होने के बाद मूल वेतन पर महंगाई भत्ता अथवा परिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत के विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का अवसर**
- **राजस्थान सिविल सेवा नियमों में संशोधन कर दो से अधिक संतान वाले राज्यकर्मियों को राहत देते हुए नियुक्ति के 5 वर्ष तक परोक्ष तथा एसीपी का लाभ नहीं देने की सीमा घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है। इससे 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक संतान वाले कर्मियों को राहत मिलेगी।**

शिक्षक संगठन राजस्थान

इंदिरा गांधी नहर जीर्ण लेंगे 3,291 करोड़ का



खान ने बताया कि आईजी नहर 55 वर्षों में निरन्तर पा से मुख्य नहर तथा फीड क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे जल प्रवाह क्षमता 18 हजार 500 क्यूसेक से घटकर लगभग 10 हजार 500 क्यूसेक रह साध ही नहरों से रिसाव कई जगह सेम की समस्या हो गई है। ये समस्याएं दूर लिए राजस्थान जल संरचना परियोजना-रेगिस् के तहत 3 हजार 291 करोड़ रुपये का न्यू डवलपमेंट बैंक से स्वीकृति दी गई है। इससे जीर्णोद्धार और रिहाइनिंग सेम से प्रभावित 7 हजार 500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई योग्य जाएगा। इसके लिए अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट और निविदा पुरी कर काम शुरू किया जाएगा। ऐसा होने से पाकिस्तान जाने वाला 2.5 करोड़ क्यूसेक पानी बचा लिया जाएगा।

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के अन्तर्गत पंचायतीराज नियम के तहत नियुक्ति सुयोग्य अध्यापक तृतीय श्रेणी को माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर समायोजन/स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र का प्रारूप

- अध्यापक का नाम:-
 - पिता का नाम:-
 - विद्यालय का नाम:-
 - जन्म तिथि:-
 - अध्यापक पद पर नियुक्ति तिथि:-
 - चयन करने वाली जिला परिषद/जिला शिक्षा अधिकारी का नाम:-
 - नियुक्ति अधिकारी का पद नाम:-
 - यदि नियुक्ति पूर्व में हुई है एवं जिला स्थापना समिति द्वारा बाद में चयन किया गया हो तो:-
 - नियुक्ति तिथि:-
 - चयन जिस दिनांक से किया गया:-
 - नियुक्ति के समय योग्यता शैक्षिक/प्रशैक्षिक:-
 - सेवा काल में अर्जित योग्यता शैक्षिक/प्रशैक्षिक:-
 - वर्तमान योग्यता शैक्षिक/प्रशैक्षिक:-
- नोट- बीएड योग्यताधारी ही माध्यमिक कक्षाओं के लिये विकल्प कर सकेंगे।
- सीनियर हायरसेकण्डरी में संकाय:-
 - स्नातक का विषय:-
 - अधिरनातक के विषय:-
 - प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना सही है, मैं पंचायतराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में नियुक्त हुआ था तथा अब मैं शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा) (दोनों में से कोई भी) में आने के लिए अपनी सहमती प्रदान करता हूँ। माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा प्राथमिकता के क्रम में लिखें।

हस्ताक्षर

संबंधित अध्यापक

- क्या विभागीय जांच विचाराधीन है:-
- सेवाएं संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा दिया गया है (संलग्न करें):-
- प्रार्थी का पदस्थापन माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में होने पर कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने हेतु बाध्य होगा इस का शपथ पत्र संलग्न करें:-

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर,

नियुक्ति अधिकारी



शैक्षिक समाचार राजस्थान
Shaikshik Samachar Rajasthan

हमारे द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोर्टल में ज्वाइन करने के लिए दिए गए नाम के सामने क्लिक करें

S.N	GROUP NAME	JOIN GROUP
1	TWITTER	CLICK HERE
2	FACEBOOK	CLICK HERE
3	WEBSITE (RAJGYAN)	CLICK HERE
4	TELEGRAM	CLICK HERE
5	TELEGRAM SAMADHAN	CLICK HERE



शैक्षिक समाचार राजस्थान